

वृद्धावन शोध संस्थान, रमणरेती रोड, वृद्धावन-281121, मथुरा (उत्तर प्रदेश)

संस्थान भवन के ऐनोवेशन कार्य के उपरान्त निष्प्रयोज्य हुई सामग्रियों के निष्टारण/बिक्री हेतु (जहाँ है जैसा है के आधार पर) सीलबंद लिफाफे में दिनांक 08 जनवरी 2022 को अपराह्ण 02:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती हैं। खुले हुए लिफाफे स्वीकार नहीं होंगे। निष्प्रयोज्य सामग्रियों के निष्टारण/बिक्री की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी की शर्तें

1. निष्प्रयोज्य सामग्री क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 30/12/2021 से 05/01/2022 तक प्रातः 11:00 बजे से 04:00 बजे तक कार्यालय परिसर में निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
2. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड की प्रति, दूरभाष व पूर्ण पते का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में ₹0 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट 'वृद्धावन शोध संस्थान' वृद्धावन के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों के मुहरबंद लिफाफे दिनांक 08 जनवरी 2022 को अपराह्ण 2:00 बजे तक निदेशक कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में डाले जायेंगे या डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। तत्पश्चात उसी दिन अपराह्ण 3:00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेंगे।
5. सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तावित एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर की कुल धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। यदि वह प्रस्तावित एवं स्वीकृत कुल धनराशि (धरोहर राशि को घटाकर) तुरन्त इस कार्यालय के लेखा विभाग में जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि ₹0 5,000/- जब्त कर ली जायेगी। विफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि नीलामी की प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन में लिखित आवेदन करने पर तापिस की जाएगी।
6. सफल निविदादाता से सम्पूर्ण धनराशि उसी दिन जमा कराई जाएगी तथा उसके 24 घण्टे में नीलामी की गई सामग्री ले जानी होगी। यदि कोई निविदादाता कुल राशि जमा करने के बाद 24 घण्टे के अंदर सामग्री नहीं उठाता है तो उससे ₹0 500.00 प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्जिंग लिया जाएगा जो सामान उठाने की तिथि तक इस कार्यालय के लेखा विभाग के पास जमा करना होगा। सामान उठाने/ले जाने हेतु नियोजित श्रमिक/वाहन तथा अन्य मर्दों पर हुआ व्यय सम्बन्धित निविदादाता को वहन करना होगा।
7. किसी भी प्रकार के देय करों के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
8. निष्प्रयोज्य सामग्री की कीमत लिखित रूप में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। जिस निविदादाता की दर अधिकतम होगी वही निविदादाता सामग्री को लेने का हकदार होगा।
9. निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण निम्नवत है:-

प्लाईवुड दरवाजे	- 43 नग	वुडन खिड़की - 24 नग
दरवाजे (मच्छरजाली)	- 8 नग	वेण्टीलेट - 8 नग
लोहा	- 12 विचंटल	अनुमानित
10. किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, वृद्धावन शोध संस्थान, वृद्धावन का निर्णय अनित्य और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा एवं व्याधिक क्षेत्र, मथुरा होगा।